न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 03 / 2018 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2018 / 00050

कमलेश पत्नि श्री कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सन्तराज पुत्र श्री चिमना राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. लिछमणराम पुत्र श्री चिमना राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. सिलोचना पुत्री श्री चिमना राम पत्नि श्री टाली राम जाति मेघवाल निवासी लूणियां तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तुलसी देवी पुत्री श्री श्री चिमना राम पत्नि श्री राजकुमार जाति मेघवाल निवासी चक 19 पीटीडी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. आशा देवी पुत्री श्री चिमना राम पत्नि श्री पालाराम जाति मेघवाल निवासी चक 29 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. अन्ना देवी पत्नि श्री चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 एन डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
8. कृष्णलाल पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12ए(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. मोहनी देवी पुत्री श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल पत्नि श्री रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. अमरचन्द पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
11. भानीराम पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

12. सुखराम पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

13. बनवारी राम पुत्र श्री गंगाराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

14. कान्हा राम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

15. श्योपत राम पुत्र श्री पूर्णराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

16. देवली पुत्री श्री पूर्णराम पुत्र श्री गोविन्द राम पत्नि श्री देवीलाल जाति मेघवाल निवासी चक 3 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

17. तीजा देवी पत्नि श्री पूर्णराम पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

18. द्रोपदी पुत्री श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम पत्नि श्री मनदीप जाति मेघवाल निवासी चक 18 एसडी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

19. मायावन्ती पुत्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम पत्नि श्री दीपक जाति मेघवाल निवासी चक 8 ए तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

20. राजु पुत्र श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

21. शान्ति देवी पत्नि श्री लालचन्द पुत्र श्री गोविन्द राम जाति मेघवाल निवासी चक 12 ए (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़।

— **रेस्पोन्डेंट्स**

उपस्थितः	श्री विजय कुमार पारीक	अभिभाषक अपीलांट
	श्री अजय ओझा	अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1 ता 6
	श्री राजेश बैद	अभिभाशक रेस्पोडेन्ट सं. 10

निर्णय

दिनांक 20.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1— विवादित कृषि भूमि चक 79 जी.बी. के पत्थर संख्या 298/432 में 12 बीघा खातेदारी भूमि बुधा देवी के नाम से दर्ज हैं। वादगत भूमि बाबत अपीलांट ने तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वसीयतनामें के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर आदेश पारित करते हुए तहसीलदार अनूपगढ़ ने वादगत भूमि का इंतकाल अपीलांट के पक्ष में कर दिया। तहसीलदार अनूपगढ़ के उक्त आदेश 07.10.2016 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 14.12.2017 पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को रिमाण्ड कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के उक्त आदेश दिनांक 14.12.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि चक 79 जी.बी. के पत्थर संख्या 298/432 की 12 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि बुधा देवी पत्नि हेमाराम के नाम दर्ज है। बुधा देवी ने वादगत भूमि की वसीयत अपीलांट के हक में कर दी। तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा विवादित भूमि का इंतकाल अपीलांट के नाम दर्ज हो गया। तहसीलदार अनूपगढ़ ने प्रकरण में पूर्ण जांच करते हुए आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने निर्णय दिनांक 14.12.2017 पारित करते हुए अपीलाधीन इंतकाल खारिज कर दिया और पत्रावली तहसीलदार अनूपगढ़ को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का उक्त आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में कतई नहीं आता। अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को बिना सुने इकतरफा तौर पर पारित किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश जारी करने का कोई वैध कारण भी नहीं बताया गया हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय में अपील करने की कोई लॉकसस्टेण्डाई नहीं थी। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया, जो काबिले खारिज हैं। वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी को वसीयत से आपत्ति है तो वह सिविल न्यायालय में चैलेंज कर सकता हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट का पति श्री कृष्णलाल हेमाराम का पुत्र नहीं है। हेमाराम के वारिस के तौर पर उक्त विवादित भूमि पत्नि बुधा देवी के नाम दर्ज थी। बुधा देवी के कोई संतान नहीं थी। बुधा देवी ने वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 11.02.2003 रेस्पोडेन्ट संख्या 10 के पक्ष में कर दी। बुधा देवी पत्नि हेमाराम की सेवा चाकरी मृत्यु दिनांक 05.09.2004 तक रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा ही की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 10 का ही कब्जा काश्त हैं। अपीलांट द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई वसीयत फर्जी एवं कूटरचित हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ ने तथाकथित वसीयत की सत्यता एवं उसके निष्पादन की गहनता से जांच किये बिना ही इंतकाल अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार अनूपगढ़ ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 07.10.2016 पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट का पति श्री कृष्णलाल हेमाराम का पुत्र नहीं है। हेमाराम के वारिस के तौर पर उक्त विवादित भूमि पत्नि बुधा देवी के नाम दर्ज थी। बुधा देवी के कोई संतान नहीं थी। बुधा देवी पत्नि हेमाराम की सेवा चाकरी मृत्यु दिनांक 05.09.2004 तक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ही की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स का ही कब्जा काश्त हैं। अपीलांट द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई वसीयत फर्जी एवं कूटरचित हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत गोदनामा भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार अनूपगढ़ ने तथाकथित वसीयत की सत्यता एवं उसके निष्पादन की गहनता से जांच किये बिना ही इंतकाल अपीलांट के पक्ष में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति में तहसीलदार अनूपगढ़ ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 07.10.2016 पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज किया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं किया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि तहसीलदार अनूपगढ़ सभी पक्षकारों को सुनकर एवं बुधा देवी के पति मृत्तक हेमाराम के वारिसान के संबंध में गहनता से जांच करते हुए जायज वारिसान के हक में विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर